2006 : CGHC : 5499

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर,

एकल पीठ:माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका सं. 1827/2003

याचिकाकर्ता : इतवारी लाल अजगोले, पिता श्री साध राम अजगोले, आयु लगभग 56 वर्ष, व्यवसाय सेवा, वर्तमान में घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छग) में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (प्राचार्य) के पद पर पदस्थ ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छग)।

2) आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3) संचालक, जनजातीय विकास विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

4) नरसिंह सिदार, प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

: उत्तरवादीगण संख्या 1 से 3/राज्य के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता।

: उत्तरवादी संख्या 4 के लिए सुश्री सुनीता जैन, अधिवक्ता ।

मौखिक आदेश

(6 फरवरी, 2006)

2006 : CGHC : 5499

1. याचिकाकर्ता, जो जिला रायगढ़ के घरघोड़ा में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत था, का आदेश दिनांक 3.5.2003 (अनुलग्नक पी–3) के अनुसार शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खामहर, विकासखंड विकास धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में स्थानांतरण कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.2.2003 (अनुलग्नक पी–2) के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उत्तरवादी संख्या 4 को याचिकाकर्ता के स्थान पर प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ के पद पर स्वयं के खर्च पर व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उरबा, खंड विकास तमनार, जिला–रायगढ़ के पद से स्थानांतरित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने इस याचिका को आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए इस आधार पर दायर किया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 3.5.2003 (अनुलग्नक पी–3) उत्तरवादी संख्या 4 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ के कार्यालय में समायोजित करने के लिए शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग था।

4. इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 26.3.2003 के तहत इस सीमा तक अनुतोष प्रदान किया है कि यदि याचिकाकर्ता को पूर्व से अनुतोष अनुदत्त नहीं किया गया है तो उसे सुनवाई की अगली तारीख तक काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश को न तो परिवर्तित किया गया था और न ही बाद में संशोधित किया गया था। इस अंतरिम आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता पदस्थापना के पुराने स्थान पर बना रहा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि ये आक्षेपित आदेश दिनांक 3.5.2003 और 1.1.2003 रद्द किए जाने के योग्य हैं क्योंकि यह शक्तियों की द्वेषपूर्ण प्रक्रिया है।

6. मैंने याचिका से जुड़े दस्तावेजों को देखा है और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता ने किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य को प्रमाणित नहीं किया है सिवाय इसके कि उत्तरवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के स्थान पर उत्तरवादी संख्या 4 को समायोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया है। कथित दुर्भावना प्रमाणित नहीं हुई है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता को अंतरिम आदेश के माध्यम से अंतिम अनुतोष प्राप्त हो चुका है। यहां तक कि अगर आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है, तो शुद्ध प्रभाव यह होता कि याचिकाकर्ता उसी स्थान पर पदस्थ बना रहता जो याचिकाकर्ता को पहले से ही इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर प्राप्त था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रकरण के तथ्यों में, इस स्तर पर आक्षेपित आदेश की विधिमान्यता में विस्तार से जाना आवश्यक नहीं है। तथापि, उत्तरवादीगण/अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आक्षेपित स्थानांतरण आदेशों 1.2.2003 और 3.5.2003 के के अनुपालन पर बल नहीं देंगे।

8. उत्तरवादीगण/प्राधिकारीगण विधि के अनुसार जनहित के साथ–साथ प्रशासनिक अनिवार्यता में एक कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर पदस्थ करने के लिए स्वतंत्र है।

9. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और यह नियोक्ता को तय करना है कि प्रशासन और जनहित में किसी विशेष अधिकारी/कर्मचारी

को कहां पदस्थ किया जाना है। इस न्यायालय के पास स्थानांतरण प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है और यह न्यायालय केवल दुर्भावनापूर्ण साबित होने, स्थानांतरण आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की अक्षमता और नियमों और विनियमों के अनुरूप न होने के प्रकरण में ही हस्तक्षेप कर सकता है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिका निराकृत की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

बबलू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**